संख्या-22/2023/1078/तीस-4-2023-30-4099(099)/138/2022

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनांक :: 02 अगस्त, 2023

विषयः- प्रदेश में वाहनों की तकनीकी स्वस्थता को सुनिश्चित किये जाने के प्रयोजनार्थ वाहनों की जांच हेतु स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ए0टी0एस) की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 56(2) में अधिकृत परीक्षण स्टेशन का प्राविधान किया गया है। इस प्राविधानानुसार 'प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र' से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत स्वचालित परीक्षण प्रसुविधा (स्टेशन) सहित किसी ऐसी सुविधा से है, जहां पर केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण हेतु निर्मित नियमों के अनुसार स्वस्थता-परीक्षण संचालित किया जा सके। भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-जी0एस0आर0-652ई, दिनांक 23.09.2021 एवं यथासंशोधित जी0एस0आर0-797ई, दिनांक 31.10.2022 द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली में स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन एवं नियंत्रण हेतु नियमावली प्रख्यापित की गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वाहनों की तकनीकी स्वस्थता को सुनिश्चित किये जाने के प्रयोजनार्थ वाहनों की जांच हेतु स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ए0टी0एस) की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश संख्या-21/2022/1408/तीस-4-2022-30-4099(099)/138/2022, दिनांक 02.09.2022 द्वारा राज्य नीति निर्गत की गयी है। स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- जीएसआर-233(ई), दिनांक 29.03.2023 द्वारा परिवहन यानों का फिटनेस स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से कराया जाना अनिवार्य किये जाने, वाहन स्क्रैपिंग के कार्य में वृद्धि एवं गति लाये जाने, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की इन्सेन्टिव स्कीम का लाभ लिये जाने तथा स्वचालित परीक्षण स्टेशनों में प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था उत्पन्न किये जाने आदि के निर्देश दिये गये हैं।

3. अतः उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत पूर्वोक्त शासनादेश दिनांक 02.09.2022 द्वारा स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत राज्य नीति को अवक्रमित करते हुए शासकीय/जन हित में प्रदेश में स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण किये जाने के प्रयोजनार्थ निम्नवत् निर्णय लिया गया हैः-

(1) स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-जी0एस0आर0-652ई, दिनांक 23.09.2021 (यथासंशोधित जी0एस0आर0- 797ई, दिनांक 31.10.2022) द्वारा अंतःस्थापित अध्याय-11 में प्राविधानित रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया, पात्रता, अवसंरचना अपेक्षा, जनशक्ति अपेक्षा, रजिस्ट्रीकरण की वैधता व नवीनीकरण, परीक्षण प्रक्रिया व कार्य विधि,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पुनः परीक्षण प्रक्रिया, परीक्षण परिणाम के विरूद्ध अपील, सम्परीक्षा और निर्धारण, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बन और रद्द करना, फीस, यथाविनिर्दिष्ट परीक्षणों की सूची, परीक्षण उपस्कर सम्बन्धी विनिर्देश तथा तकनीकी विनिर्देश आदि के संदर्भ में विहित व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा।

(2) इस नीति के अधिसूचित होने की तिथि से 21 दिवस उपरान्त् सभी पात्र इच्छुक आवेदक नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम (NSWS) पोर्टल (https://www.nsws.gov.in/) पर आवेदन हेतु अर्ह होंगे।

(3) स्वचालित परीक्षण स्टेशन के पंजीकरण के लिए केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अध्याय-11 के तहत प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने व नवीनीकृत करने हेतु रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश होंगे।

(4) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-183 के प्रयोजन के लिए अपीलीय प्राधिकारी सम्बन्धित संभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी होंगे।

(5) नियम-186 के प्रयोजन के लिए अपीलीय प्राधिकारी यथास्थिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन होंगे।

(6) प्रत्येक जनपद में नये स्थापित होने वाले स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) न्यूनतम 02 लेन के होंगे, जिसमें एक लेन तिपहिया/हल्के वाहनों एवं दूसरा लेन मध्यम/भारी वाहनों के लिए होगी तथा ऐसे स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना हेतु न्यूनतम 02(दो) एकड़ भूमि अनिवार्य होगी। यदि कोई आवेदक 02 से अधिक लेन के स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना करने का इच्छुक है तो उसे न्यूनतम 02(दो) एकड़ के अतिरिक्त 0.5(आधा) एकड़ प्रति लेन अतिरिक्त भूमि की अनिवार्यता होगी। आवेदक अपनी इच्छानुसार दो पहिया लेन की भी स्थापना कर सकते हैं।

(7) नये स्थापित होने वाले स्वचालित परीक्षण स्टेशन की भूमि सम्बन्धित जनपद में ही राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राज्य राजमार्ग अथवा प्रमुख जिला मार्ग पर स्थित होगी। भूमि के ऊपर हाईटेन्शन पॉवर लाइन नहीं होगी।

(8) स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना हेतु आवेदन के समय आवेदक को निर्धारित भूमि के स्वामित्व का प्रमाण मय अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक के पास निर्धारित भूमि का स्वामित्व उपलब्ध नहीं है तथा वह भूमि पट्टे या भाड़े पर लेने का इच्छुक है तो उसे उक्त भूमि को न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए भाड़े/पट्टे पर दिये जाने से सम्बन्धित रू0 100/- के ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर भूमि स्वामी का नोटराइज्ड सहमति पत्र तथा सम्बन्धित भूमि के स्वामित्व का प्रमाणीकृत दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। भूमि भाड़े/पट्टे पर लिये जाने का रजिस्टर्ड डीड प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (Preliminary Registration Certificate) निर्गमन की तिथि से 30 दिन के अन्दर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

(9) स्वचालित परीक्षण स्टेशन के परिसर में वाहनों के प्रवेश एवं निकास हेतु पृथक-पृथक द्वार होंगे, ताकि वाहनों का आवागमन बाधित ना हो। परिसर तक पहुंच मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 07 मीटर होनी चाहिए। स्वचालित परीक्षण स्टेशन में प्रवेश व निकास के समय वाहन की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रविष्टियां अंकित की जायेगी, जिससे यह ज्ञात हो सके कि वाहन कितने समय तक केन्द्र में रही।

(10) किसी आवेदक को उनके द्वारा वर्तमान में संचालित स्वचालित परीक्षण स्टेशनों को सम्मिलित करते हुए प्रदेश में अधिकतम 03 स्टेशन ही आवंटित किये जायेंगे। यह प्रतिबन्ध राज्य सरकार द्वारा स्थापित होने वाले स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) पर लागू नहीं होगा।

(11) किसी एक आवेदक को एक जनपद में एक ही स्वचालित परीक्षण स्टेशन स्थापित करने की अनुमति होगी। यह प्रतिबन्ध राज्य सरकार पर लागू नहीं होगा।

(12) किसी एक जनपद में अधिकतम 03 स्वचालित परीक्षण स्टेशन ही स्थापित किये जाने की अनुमति होगी। प्रथम आगत प्रथम पावत (First come first serve) की नीति के अनुसार स्वचालित परीक्षण स्टेशन आवंटित किये जायेंगे। प्रथम आगत प्रथम पावत (First come first serve) का निर्धारण नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम (NSWS) पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि/समय के आधार पर किया जायेगा। केवल आवेदन ही आवेदक को स्वचालित परीक्षण स्टेशन आवंटित किये जाने का आधार नहीं होगा, बल्कि प्रथम आगत प्रथम पावत (First come first serve) के अनुसार अर्हताओं के परीक्षणोपरान्त अर्ह पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित जनपद में अधिकतम 03 आवेदकों को प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। यदि प्रथम तीन आवेदकों में से कोई आवेदक परीक्षणोपरान्त अर्ह नहीं पाया जाता है तो प्रथम आगत प्रथम पावत (First come first serve) के क्रम के अनुसार अगले आवेदक के आवेदन पर विचार कर पात्र आवेदक का निर्णय लिया जायेगा।

(13) यदि कोई आवेदक 03 से अधिक परीक्षण स्टेशन हेतु अर्ह घोषित होता है तो उसकी इच्छानुसार 03 स्टेशन आवंटित किये जायेंगे। इस हेतु ऐसे आवेदक को चयन की सूचना पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी तथा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना की प्राप्ति के 07 दिवस के अन्दर लिखित रूप से अपनी इच्छा के 03 स्टेशन आवंटित किये जाने के चयन की सूचना रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्राप्त करानी होगी।

(14) भविष्य में वाहनों की बढ़ती संख्या की आवश्यकता के दृष्टिगत किसी जनपद में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की अधिकतम संख्या तथा किसी एक आवेदक को आवंटित किये जाने वाले स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) की अधिकतम संख्या में वृद्धि के सम्बन्ध में निर्णय का अधिकार शासन में निहित होगा।

(15) नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम (NSWS) पर आवेदन की प्रक्रिया एवं प्राप्त आवेदनों का परीक्षण सम्बन्धी मानक संचालन प्रक्रिया परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की जायेगी।

(16) स्वचालित परीक्षण स्टेशन द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में विनिर्दिष्ट फिटनेस जांच पड़ताल एवं परीक्षा का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) स्वचालित परीक्षण स्टेशन के परिसर में जनसामान्य हेतु निम्नलिखित सूचनाएं भी प्रदर्शित की जायें-

(i) स्वचालित परीक्षण स्टेशन के स्वामी/ऑपरेटर/प्रबन्धक का नाम व फोन नम्बर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ii) सभी कार्मिकों के नाम/पदनाम।

(iii) स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन, टाइम स्लॉट बुकिंग एवं शुल्क जमा करने की प्रक्रिया।

(iv) परीक्षण रिपोर्ट निर्गमन प्रक्रिया।

(v) परीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित विवरण।

(vi) परीक्षणों की सूची।

(vii) पुनः परीक्षण प्रक्रिया की जानकारी।

(viii) परीक्षण रिपोर्ट के विरूद्ध अपील की प्रक्रिया एवं अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं फोन नम्बर।

(ix) स्वचालित परीक्षण स्टेशन का पूरा ले-आउट। (पार्किंग/वेटिंग रूम/विजुअल एवं ऑटोमेटिक टेस्टिंग का स्थान/शौचालय/पीने का पानी/प्रवेश व निकास द्वार आदि)

(18) स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर सी0सी0टी0वी0 द्वारा लाइव कवरेज की व्यवस्था होगी तथा एक माह की रिकार्डिंग सुरक्षित रखी जायेगी। स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर वाहनों की जांच प्रक्रिया देखने हेतु परीक्षण स्टेशन के स्वामी/ऑपरेटर द्वारा सम्बन्धित सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय को लिंक उपलब्ध कराया जायेगा।

(19) स्वचालित परीक्षण स्टेशन में शिकायत पेटी भी होगी।

(20) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 81 में विनिर्दिष्ट फिटनेस परीक्षण शुल्क स्वचालित परीक्षण स्टेशन को तथा फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गमन शुल्क एवं विलम्ब शुल्क परिवहन विभाग को देय होगा। परीक्षण स्टेशन को प्राप्त होने वाले शुल्क पर देय जी0एस0टी0 वाहन स्वामी से परीक्षण स्टेशन द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा जी0एस0टी0 के प्रचलित प्रक्रिया व नियम के अनुसार निर्धारित समयावधि में सम्बन्धित विभाग को जमा करने का दायित्व परीक्षण स्टेशन संचालक का होगा। भविष्य में होने वाली शुल्क में कमी/वृद्धि की दशा में तत्समय विद्यमान फिटनेस परीक्षण शुल्क स्वचालित परीक्षण स्टेशन को तथा फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गमन शुल्क एवं विलम्ब शुल्क परिवहन विभाग को देय होगा।

(21) प्रदेश में पूर्व से संचालित स्वचालित परीक्षण स्टेशन को भी उक्त राज्य नीति अधिसूचित होने की तिथि से केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 81 में विनिर्दिष्ट फिटनेस परीक्षण शुल्क ही देय होगा तथा फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गमन शुल्क एवं विलम्ब शुल्क परिवहन विभाग को देय होगा। भविष्य में होने वाली शुल्क में कमी/वृद्धि की दशा में तत्समय विद्यमान फिटनेस परीक्षण शुल्क उक्त स्वचालित परीक्षण स्टेशन को तथा फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गमन शुल्क एवं विलम्ब शुल्क परिवहन विभाग को देय होगा।

(22) शासकीय वाहनों पर कोई स्वस्थता परीक्षण शुल्क एवं प्रमाण-पत्र निर्गमन शुल्क देय नहीं होगा।

(23) एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन हेतु आवेदक की शुद्ध मालियत (Net Worth) न्यूनतम 03 करोड़ तथा एक से अधिक स्वचालित परीक्षण स्टेशन हेतु आवेदक की शुद्ध मालियत (Net Worth) न्यूनतम 07 करोड़ रूपये होगी। Net Worth सर्टिफिकेट चार्टर्ड् अकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित होगा तथा UDIN (Unique Document Identification Number) से युक्त होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(24) स्वचालित परीक्षण स्टेशन हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति या फर्म/संस्था के प्रबन्धक निदेशक (MD)/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO)/ समस्त पार्टनर्स इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उन्हें पिछले तीन वित्तीय वर्ष में किसी राज्य सरकार द्वारा अपात्र/प्रतिबन्धित/ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

(25) स्वचालित परीक्षण स्टेशन हेतु आवेदक (पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को छोड़कर) द्वारा प्रारूप-"एटीएस प्रारूप" (संलग्नक) पर स्वघोषित चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जो नोटरी द्वारा सत्यापित भी होगा।

परन्तु, ऐसी कम्पनियां जिनके प्रबन्धक/निदेशक विदेशी नागरिक हैं, उन्हें चरित्र प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(26) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अध्याय-11 में विहित व्यवस्था के अनुसार स्वचालित परीक्षण स्टेशन हेतु परीक्षण स्टेशन का स्वामी व आपरेटर दोनों आवेदन कर सकते हैं। आपरेटर के आवेदन करने की दशा में, परीक्षण स्टेशन के स्वामी द्वारा निर्गत अधिकार पत्र आपरेटर द्वारा रू0 100 के मूल्य के नोटराइज्ड शपथ-पत्र पर प्रस्तुत किया जायेगा। ऑपरेटर से अभिप्राय नियम-174 (X) में दी गयी व्यवस्था से है।

(27) चयनित आवेदक द्वारा प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निर्गत होने की तिथि से 02 माह की अवधि तक स्टेशन निर्माण के सन्दर्भ में कार्य प्रारम्भ न किये जाने की स्थिति में रू0 5000/- प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए शास्ति देय होगी। 04 माह तक कार्य प्रारम्भ न किये जाने की स्थिति में प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का विस्तार नियम 156 के प्रयोजन हेतु शासन के निर्णय के अनुसार किया जा सकेगा।

(28) चयनित आवेदक द्वारा प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के भीतर स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना पूर्ण करके प्री० कमिशनिंग ऑडिट एवं असेसमेन्ट का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया जायेगा। ऐसा न होने की स्थिति में रू0 10,000/- प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए शास्ति देय होगी। इस माइलस्टोन की प्राप्ति में 03 माह से अधिक अवधि का विलम्ब होने की स्थिति में प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का विस्तार अपीलीय प्राधिकारी के स्तर पर उनके विवेक या निर्णय के अनुसार किया जा सकेगा।

(29) प्रदेश में पूर्व से संचालित स्वचालित परीक्षण स्टेशन द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना जी0एस0आर0-652ई, दिनांक 23.09.2021 एवं यथासंशोधित जी0एस0आर0-797ई, दिनांक 31.10.2022 द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में अन्तःस्थापित किये गये अध्याय-11 में प्राविधानित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(30) स्वचालित परीक्षण स्टेशन द्वारा फिटनेस टेस्ट की पूरी प्रक्रिया को भारत सरकार द्वारा स्थापित इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर अपलोड किये जाने के पूर्व स्वचालित परीक्षण स्टेशन द्वारा स्थापित किये जाने वाले सेन्ट्रल सर्वर पर फिटनेस टेस्ट का अनुमोदन परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) में स्थापित होने वाले सेन्ट्रल सर्वर में आवश्यक तकनीकी व्यवस्था स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संचालक द्वारा बनायी जायेगी। परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन के उपरान्त ही टेस्टिंग स्टेशन द्वारा फिटनेस प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा। परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा टेस्टिंग प्रक्रिया का अनुमोदन विलम्बतम 02 कार्यदिवस में पूर्ण किया जाएगा। 02 कार्यदिवसों में टेस्टिंग प्रक्रिया का अनुमोदन नहीं किये जाने की स्थिति में ऑटो अप्रूवल की व्यवस्था होगी।

(31) स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन एवं नियंत्रण हेतु केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अध्याय-11 के समस्त प्रविधान के साथ-साथ केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिसूचनाओं एवं प्रशासकीय आदेशों के प्राविधान लागू होंगे।

4. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में उक्तानुसार लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन/अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। साथ ही विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

संख्या 22/2023/1078(1)/तीस-4-2023-30-4099(099)/138/2022, तद्दिनांक।

उक्त की प्रति सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

लुटावन राम
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

"ATS" Format -1

Character Certificate

(Exempted for Public Limited Company)

I/we certify on oath that there is no criminal case pending in any Court of Law against me or any of the Directors/Proprietor/Partner of the company.

I/we further certify that I/we Directors/Proprietor/Partner of my company have not been convicted of any offence in any Court in India in the last ten (10) years. I understand that I am fully responsible for the contents of this undertaking, and its truthfulness. In case of any information emerging disproving any of the contents of this undertaking, my registration will be liable to be cancelled fourthwith without any further correspondence and procedure.

Solemnly affirmed by me on…… (date)at ……(place).

Signed by

Name of the Applicant /Company/Firm/institution/Trust-

Signature-

Designation-

Seal-

Date-

(To be attested by Public Notary)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।